1. In the court of Abhishek K.Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 1427/2026, dt. 09.07.2026, Tunna Kumar vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जमानत आवेदन संख्या–1427 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

टुन्ना कुमार, वल्द सुनील महतो उम्र 20 वर्ष
ग्राम– कोईरिया टोला वार्ड न0–25, थाना–रक्सौल, जिला– पूर्वी चम्पारण.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री यशवंत कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।
सूचक की ओर से – श्री राजेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

09.07.2026 काराधीन आवेदक / अभियुक्त टुन्ना कुमार की ओर से रक्सौल थाना कांड संख्या–534 / 2025, धारा–331(4), 305, 317(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 20.12.2025 से कारा में निरूद्ध है।

अभियोजन के अनुसार सूचक उदय बिहारी प्रसाद के पूरब साईड से अर्द्धनिर्मित मकान के रास्ते उसके घर में घुसकर चोरो के द्वारा घर के अन्दर एक कमरे में रखे गए जेवरात जिसमें सोना का एक छोटा चैन, एक सोने का बड़ा चैन, सोने का एक मंगलसूत्र सोना का नथ दो पीस, सोना का छोटा मंगलसूत्र, चॉदी का पायल एवं बिछिया, एक टाईटन घड़ी, दो लेडिज पर्स जिसमें एक पर्स में साठ हजार रूपया एवं दूसरे में दस हजार रूपया नगद था तथा दो मोबाईल फोन चोरी कर लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित / अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध रक्सौल थाना कांड संख्या– 529 / 2023 दर्ज है, इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 20.12.2025 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक विद्यार्थी है एवं उसे इस मामले में शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है। सह अभियुक्त को जमानत पर मुक्त

किया जा चुका है।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी अज्ञात चोर के विरूद्ध दर्ज है। आवेदकगण का नाम कांड दैनिकी की कंडिका– 30 में अंकित आवेदक टुन्ना कुमार के संस्वीकृति बयान से प्रकट हुआ है। कांड दैनिकी की कंडिका– 32 में आवेदक के निशानदेही पर उसके घर से चोरी का सामान बरामद होना अंकित है। आवेदक घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं हुआ है। कांड दैनिकी की कंडिका– 55 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध उत्पाद थाना कांड संख्या– 1055/25 धारा– 30(ए) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज है। कांड दैनिकी की कंडिका– 64 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त टुन्ना कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 480(3) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है ।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांकः–09.07.2026